

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-३जी० आरोप(क्षे०अरा०)-२०-०६/२०२१-
:: सूचना ::

सूचित करना है कि परिवादी क्रमशः १. नाम अस्पष्ट, २. राजेन्द्र शर्मा, ३. संजय सिन्हा, ४. निशा कुमारी द्वारा तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गया श्री संजीव कुमार रत्न के विरुद्ध लगाये गये आरोप में कोई भी साक्ष्य/शपथ पत्र आपलोगों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-९४५ दिनांक-२४.०६.२००५ के आलोक में एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित संपुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथ पत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य देने लिए तैयार है।

अतः आपलोगों को सूचित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर साक्ष्य/शपथ पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-
अपर सचिव

ज्ञापांक-३जी०/आरोप(क्षे०अरा०)-२०-०६/२०२१- पटना दिनांक-

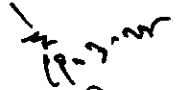
प्रतिलिपि:-निर्गत शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि सूचना की प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपकाना सुनिश्चित करें।

ह०/-
अपर सचिव

ज्ञापांक-३जी०/आरोप(क्षे०अरा०)-२०-०६/२०२१- १५५० पटना दिनांक- १९.३.२५

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव